Court No. - 7

Case :- INCOME TAX APPEAL No. - 12 of 2020

Appellant :- Rakesh Kumar Gupta son of Late Naresh Kumar Gupta, Resident of 1281 Shri Krishna Bajaj, Station Road, Mainpuri

Respondent :- Commissioner Of Income Tax, Agra

Counsel for Appellant :- Anwar Hussain

Counsel for Respondent :- Gaurav Mahajan

Hon'ble Biswanath Somadder,J.

Hon'ble Dr. Yogendra Kumar Srivastava,J.

1. In this appeal under section 260-A of the Income Tax Act, 1961, the appellant has raised three substantial questions of law in respect of the judgment and order of the learned Income Tax Appellate Tribunal, Agra Bench, Agra, dated 8th July, 2019. The substantial questions of law, as formulated by the appellant, read as follows :-

> "(i) Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was legally justified in sustaining the addition of Rs. 14,31,582/- and Rs. 43,804/-U/s 68 of the Income Tax Act?
> (ii) Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was legally justified in disbelieving the affidavit filed by the father of the assessee who had testified the availability of money as a result of agriculture produce sold and past savings duly deposited in bank account.
> (iii)Whether, on the facts and in the circumstances of the case, the Tribunal was legally justified in upholding the order of the CIT (Appeals)?"

2. We notice from the papers before us that the learned Tribunal has proceeded to decide the appeal of the appellant, namely, Rakesh Kumar Gupta, upholding the order of the Commissioner of Income Tax (Appeals), being the first appellate authority who confirmed the assessment order dated 18th February, 2014, passed by the Income Tax Officer, Ward 2 (4), Mainpuri.

3. The questions of law, as set out hereinabove, in our view,

are not substantial questions of law but are essentially factual in nature. The reasons for this conclusion will appear hereunder.

4. Whether the addition of Rs. 14,31,582/- can be sustained or not is a factual issue that was specifically gone into by the Assessing Officer in the assessment order dated 18th February, 2014, relevant portion whereof is reproduced hereinbelow :-

> *"....Thus it is clear that in the relevant assessment year the assessee has deposited cash. If in the years prior to assessment year under consideration the assessee has deposited the amount as it has been deposited in the relevant assessment year, agriculture income could have been accepted. Therefore the amount which has been deposited in joint account held with his father is the money of assessee himself from undisclosed amount. Since in financial year 2009-10 Rs. 290000/- was deposited and assessee's father has agriculture land, the sum of Rs. 200000/- can be treated to have been invested in margin money out of agriculture income of father. Thus it is clear that the assessee could explain source of availability of Rs. 909096/- out of investment made at Rs. 2340678/- and the balance amount of Rs. 1431582/- has not been explained. Therefore amount of Rs. 1431582/- is added to the income of the assessee as undisclosed income."*

5. The assessee preferred an appeal before the Commissioner of Income Tax (Appeals), in respect of the assessment order dated 18th February, 2014, and the Commissioner of Income Tax (Appeals) upheld the order of the Assessing Officer dated 18th February, 2014, with the following reasons :-

"**5.3 निर्णय**

शेयर मार्जिन मनी मे निवेशित रु0 23,04,678/– के संबंध मे अपीलार्थी ने बताया है कि उसने अपनी रोकड से रु0 7,09,096/– तथा शेष अपने पिता द्वारा कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त धन से निवेशित किया है। आयकर अधिकारी ने रु0 7,09,096/– के रोकड के निवेश को सही माना, किंतु अपीलार्थी के पिता द्वारा निवेशित राशि में से केवल रु0 2,00,000/– के दावे को स्वीकार किया। अपीलार्थी ने बताया है कि वह और उसके पिता संयुक्त रुप से रहते है और उनके पास 50 बीघा जमीन है। उन्होनें 2.5 वर्ष की फसल को मार्च से अक्टूबर 10 तक बेच दिया था। उनके पिता द्वारा निवेशित राशि का विवरण निम्नवत है।

आलू की बिक्री – मार्च 10 में	3,50,600
गेहूं की बिक्री – जुलाई 10 में	3,45,800
धान की बिक्री – अक्टूबर 10 मे	5,50,900
पिता जी की स्वंय की पुरानी रोकड में से	3,84,282
	16,31,582

उपरोक्त के संबंध में कृषि उत्पादक मण्डी समिति, मैनपुरी से प्राप्त रसीदें प्रस्तुत

की गई, जिसमें दिनांक 02.07.2010 को 330 क्विंटल गेहूं की बिक्री से रु0 3,37,838/— और दिनांक 04.10.2010 को 850.15 क्विंटल धान की बिक्री से रु0 5,37,180/— की प्राप्ति दिखाई गई है। निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी से कृषि उपज की बिक्री का साक्ष्य प्रस्तुत करने का कहा था, किंतु तब भी अपीलार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। निर्धारण अधिकारी ने पाया कि अपीलार्थी ने वित्तीय वर्ष 2009—10 में अपने बैंक खाते में रु0 2,90,000/— जमा किया है और वित्तीय वर्ष 2011—12 में कुछ भी जमा नही किया है। इसके विपरीत वित्तीय वर्ष 2010—11 में रु0 15,02,220/— की बडी राशि जमा हुई है। निर्धारण अधिकारी का कहना है कि यदि संगत वर्ष के पूर्व वर्ष व आगे के वर्ष में भी संगत वर्ष की तरह जमा रहता तो इसे कृषि आय माना जा सकता था। किंतु प्रस्तुत साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि संगत वर्ष में जमा की गई राशि को कृषि आय के आधार पर परिभाषित नही किया जा सका है। वर्ष 2009—10 मे जमा की गई रु0 2,90,000/— की राशि को देखते हुए और यह देखते हुए कि अपीलार्थी के पिता के पास कृषि भूमि है, निर्धारण अधिकारी ने रु0 2,00,000/— की कृषि आय पिता के हाथ में उचित पायी।

मैने निर्धारण आदेश मे वर्णित तथ्यों और अपीलार्थी द्वारा लिखित निवेदन में दिये गये तर्को पर विचार कर लिया है। मेरे विचार में अपीलार्थी के पिता द्वारा किये गये निवेश के दावे के संबंध मे उचित साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं उससे अपीलार्थी के पिता की रु0 16,31,582/— के निवेश की सक्षमता सिद्ध नही होती। गेहूं की बिक्री और धान की बिक्री के संबंध में जो साक्ष्य मेरे सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं, उनको निर्धारण अधिकारी के सम्मुख क्यों नही प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है। साथ ही साथ यह मानना भी कठिन है कि मात्र 50 बीघा कृषि भूमि के आधार पर कोई व्यक्ति 330 क्विंटल गेहूं और 850 क्विंटल धान की उपज कर सकता है। अगर यह मान भी लिया जाये कि यह उपज लगभग ढाई साल के दौरान हुई है, तो इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि इतनी कृषि उपज इतने समय तक भंडारण करके रखी हुई थी। मार्च 2010 में आलू की बिक्री के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कराया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी अपने पिता की निवेश की सक्षमता को सिद्ध करने में असफल रहा। मात्र शपथ — पत्र दाखिल करने से अपीलार्थी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नही हो सकता। धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती का दायित्व होता है कि वह पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर निवेशित राशि के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। मेरा मानना है कि अपीलार्थी अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहा है।

अपीलार्थी के पिता के बैंक खाते मे एक साल पहले जमा किये गये धन और कृषि भूमि के स्वामित्व को देखते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा उनकी कृषि आय से हुये निवेश को रु0 2,00,000/— तक मान लेना न्यायोचित ही प्रतीत होता है। मेरे विचार में निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्जिन मनी में निवेशित रु0 23,40,678/— के संबंध मे दिये गये स्पष्टीकरण पर जो निर्णय लिया गया है वह विवेकपूर्ण है। निर्धारण अधिकारी का यह मानना कि रु0 14,31,582/— के संबंध में अपीलार्थी ने सम्यक स्पष्टीकरण नही दिया है, सही ही है। अतः रु0 14,31,582/— की अघोषित आय मानना सर्वथा उचित है और मै अपील के इस आधार को अस्वीकार करता हूँ।

5.4 <u>अपील का द्वितीय आधार</u>

(2) यह है कि अपीलकर्ता की आर0 डी0 6 वर्ष की है जो कि संगत वर्ष में ब्याज के 43804 रु0 प्राप्त हुये है जिसमें से केवल 1 वर्ष का ब्याज 1212 रु0 जोडना चाहिये।

5.5 <u>अपीलार्थी का लिखित निवेदन</u>

(2) यह है कि अपीलकर्ता की आर0 डी0 6 वर्ष की है जो कि संगत वर्ष में ब्याज के 43,804 प्राप्त हुये है जिसमें से ब्याज एक वर्ष का 7300 रु0 ही जुडना चाहिये।

5.6 <u>निर्णय</u>

अपीलार्थी का कहना है कि आर0 डी0 खाते में जो ब्याज प्राप्त हुआ है वह 6 वर्ष का है और इस वर्ष में कुल रु0 7300/— का जोड होना चाहिये था, जो कि एक वर्ष का ब्याज बनता है। इस संबंध में अपीलार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह ज्ञात हो कि आर0 डी0 खाते में प्राप्त ब्याज को पूर्व के वर्षों में भी दिखाया गया था। अगर पूर्व के वर्षों में यह ब्याज अपीलार्थी ने अपनी आय में नही

दिखाया है तो इस ब्याज पर प्राप्ति के आधार पर इसी वर्ष में कराधान करना सर्वथा उचित है। इसलिए मै अपील के इस आधार को अस्वीकार करता हूँ।

6. परिणामस्वरुप, अपील को अस्वीकृत किया जाता है।”

6. The learned Tribunal in the judgment and order dated 8th July, 2019, has specifically considered the issue in paragraphs 7.2, 8, 9 and 10 of its order, which read as follows :-

“7.2. From the record, we find that the agricultural land was owned by the assessee's father. However, the assessee has not claimed such an agricultural income from his father either in the earlier assessment years or in the succeeding years. Over and above the assessee's father is neither filing return of income nor any statement of account including income and expenditure statement of working of his agricultural income has been furnished by the assessee either before Authorities below or before us so as to ascertain the correct amount of agricultural income. It is noticed that the assessee has failed to produce material documentary evidence to proof cultivation of agricultural produce by way of Khasra Khatauni, source of irrigation (tube well/canal), evidence on cold storage etc. to justify the cash deposits in the aforesaid joint bank account in which even the cash deposits do not correlate with the proceeds emanating from Mandi Parishad. Therfore, the agricultural income claimed from the sale of accumulated produce of two and a half years in between March 2010 to October, 2010 towards cash deposit in the bank account in anticipation to corresponding withdrawals to the agricultural operations to be carried out for earning such volume of agricultural income of Rs. 15,02,220/- is rightly disbelieved by the ld. CIT (A), to demonstrate availability of cash Rs. 14,31,582/- for investment in margin money of share trading business.(ABP. Page 9)

8.It is evident from the above that for the purpose of claiming the benefit of the agriculture income, it is necessary to produce the material evidence to substantiate claim of agricultural income for the assessment year under consideration. Further, the assessee should maintain the accounts pertaining to entire agriculture activity. In the instant case, no account was maintained by the assessee.

9.Following the Hon'ble Jurisdictional High Court in the case of “Smt. Prem Sundari vs. CIT”, (supra) we uphold the order of the ld. CIT (A) in sustaining the addition of Rs. 14,31,582/-. Accordingly, all the five grounds of the assessee on this issue are dismissed.

10. As regards to the addition of Rs. 43804/- in respect of the accumulated interest on RD A/c, it is noticed that the aforesaid interest amount was found credited in the RD bank amount in the year under consideration by the AO. Since, the assessee failed to demonstrate on the basis of documentary evidence that the said Interest income was related to earlier years either

> before the authorities below or before us and therefore, we are inclined to appreciate the finding of the CIT (A) on this issue as legal and justified and confirm the addition accordingly. This ground of appeal is also rejected."

7. In view of the above concurrent findings, we do not find any merit for the purpose of entertaining this appeal, since no substantial questions of law are involved.

8. In such circumstances, this appeal is liable to be dismissed and stands, accordingly, dismissed.

Order Date :- 13.2.2020
Pratima/Neeraj

(Biswanath Somadder,J.)

(Dr.Y.K.Srivastava,J.)